



# कार्यालय उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन

विशाला भवन, भरतपुरी प्रशासनिक क्षेत्र, देवास रोड उज्जैन, 456010

सम्पर्क -0734-3510342, ईमेल -udaujain@gmail.com, वेबसाईट -www.udaujain.org

क्रमांक / 15077-TDS-06 / UJN / 2023 / 97124

दिनांक:- 19/12/24

प्ररूप उन्नीस

(नियम 19(13) देखिए)


धारा 50 की उप-धारा 11 के अधीन नगर विकास स्कीम की घोषणा हेतु सूचना

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उप धारा (10) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये एतद्वारा यह घोषित तथा प्रकाशित किया जाता है कि उज्जैन विकास प्राधिकरण उज्जैन द्वारा तैयार की गई नगर विकास स्कीम क्रमांक TDS-06/UJN/2023 अर्थात ग्राम धतरावदा एवं लालपुर को संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, उज्जैन द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

उक्त स्कीम के अभिविन्यास मूल भूखण्ड तथा अन्तिम भूखण्ड को दर्शाते हुए तथा प्ररूप-उन्नीस (क) प्ररूप-उन्नीस (ख) तथा प्ररूप-उन्नीस (ग) में विनिर्दिष्ट विस्तृत विवरण निम्न दर्शाये गये कार्यालयों में नब्बे दिवस की अवधि हेतु निरीक्षण के लिये उपलब्ध है:

1. उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन भरतपुरी प्रशासनिक क्षेत्र, उज्जैन
2. कलेक्टर, जिला उज्जैन
3. नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, जिला कार्यालय उज्जैन
4. कार्यालय, नगर पालिक निगम, उज्जैन
5. प्राधिकरण की वेबसाईट अर्थात [www.udaujain.org](http://www.udaujain.org)

उपरोक्त स्कीम राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगी।

  
(संदीप कुमार सोनी)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन



# कार्यालय उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन

विशाला भवन, भरतपुरी प्रशासनिक क्षेत्र, देवास रोड उज्जैन, 456010

सम्पर्क -0734-3510342, ईमेल -udaujain@gmail.com, वेबसाईट -www.udaujain.org

क्रमांक / 15078-TDS-05/UJN/2023/96/24

दिनांक:- 13/12/24

प्ररूप उन्नीस

(नियम 19(13) देखिए)

धारा 50 की उप-धारा 11 के अधीन नगर विकास स्कीम की घोषणा हेतु सूचना

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उप धारा (10) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिये एतद्वारा यह घोषित तथा प्रकाशित किया जाता है कि उज्जैन विकास प्राधिकरण उज्जैन द्वारा तैयार की गई नगर विकास स्कीम क्रमांक TDS-05/UJN/2023 अर्थात् ग्राम निमनवासा एवं धतरावदा को संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, उज्जैन द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

उक्त स्कीम के अभिविन्यास मूल भूखण्ड तथा अन्तिम भूखण्ड को दर्शाते हुए तथा प्ररूप-उन्नीस (क) प्ररूप-उन्नीस (ख) तथा प्ररूप-उन्नीस (ग) में विनिर्दिष्ट विस्तृत विवरण निम्न दर्शाये गये कार्यालयों में नब्बे दिवस की अवधि हेतु निरीक्षण के लिये उपलब्ध हैं:

1. उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन भरतपुरी प्रशासनिक क्षेत्र, उज्जैन
2. कलेक्टर, जिला उज्जैन
3. नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, जिला कार्यालय उज्जैन
4. कार्यालय, नगर पालिक निगम, उज्जैन
5. प्राधिकरण की वेबसाईट अर्थात् www.udaujain.org

उपरोक्त स्कीम राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगी।

(संदीप कुमार सोनी)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन